



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 2006/समुकाअ/चिप्स/2024

रायपुर, दिनांक 16/01/2024

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
बलौदाबाजार वनमण्डल,
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, (छत्तीसगढ़).

विषय : आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बलौदाबाजार - भाटापारा जिला के बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्रांतर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेज-2" के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.137 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43975/2020

- संदर्भ : 1. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2 दिनांक 27/12/2023।
2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-851/58 नवा रायपुर 08/01/2024।
3. आपका पत्र क्र /तकनीकी/विविध/ 92, बलौदाबाजार दिनांक 27/12/2023।

-00-

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बलौदाबाजार वनमण्डल के बारनवापारा अभ्यारण्य अन्तर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेज-2" के तहत 22.737 कि.मी. लम्बे तथा 0.50 मी. चौड़े वन क्षेत्र कुल रकबा 1.137 हे. वन भूमि (संरक्षित वन भूमि 1.137 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ को उपयोग पर देने हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन आरोपित शर्तों पर सहमति प्रदान करते हुए आपके समक्ष पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है -

1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-1 संलग्न
2.	(अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत प्रकरणा में प्रस्तावित रकबा 1.137 हे. वनभूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगांव में 2.967 हे, तथा ग्राम पोडगांव में 10.427 हे. कुल 13.394 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा। (ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-2 संलग्न

3.	उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-3 संलग्न
4.	(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-11) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी। (ब) विशेषज्ञ सगिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-4 संलग्न
5.	परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-5 संलग्न
6.	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-6 संलग्न
7.	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-7 संलग्न
8.	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के पल्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-8 संलग्न
9.	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी अधीक्षक बारनवापारा अभ्यारण्य/वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-9 संलग्न
10.	उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-10 संलग्न
11.	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात्, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग /रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-11 संलग्न

12.	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	शर्त से सहमत है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-12 संलग्न
13.	आवेदक संस्थान रखरखाय का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-13 संलग्न
14.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-14 संलग्न
15.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) यह सुनिश्चित करेंगे कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-15 संलग्न
16.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No.6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-16 संलग्न
17.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-17 संलग्न
18.	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-18 संलग्न
19.	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-19 संलग्न
20.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेंगे कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-20 संलग्न
21.	सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-21 संलग्न
22.	संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नहीं किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-22 संलग्न
23.	मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-23 संलग्न

24.	आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं छोड़े जायेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-23 संलग्न
25.	कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चित करें।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-25 संलग्न
26.	आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-26 संलग्न
27.	Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-27 संलग्न
28.	Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project- Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-28 संलग्न
29.	No labor camp should be constructed within the Bar-Nawapara Sanctuary or Forest area.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-29 संलग्न
30.	Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-30 संलग्न

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों पर सहमति प्रदान करते हुए आपके समक्ष पालन प्रतिवेदन पृथक पृथक वचन पत्र 5 प्रतियों में प्रस्तुत है। प्रतिपूरक वृक्षारोपण (CA) एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) के संबंध में वांछित राशि के भुगतान की पावती संलग्न है। उक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन के आधार पर अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्न:- 1. पालन प्रतिवेदन मय 30 वचन पत्र
2. CA & NPV की राशि भुगतान की पावती।


 संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
 रायपुर छत्तीसगढ़
 रायपुर, दिनांक 16/01/2024

क्रमांक 2006/A /समुकाअ /चिप्स /2024
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्रबंध/व.स.अ.), अरण्य भवन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।


 संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5-04/2022/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/12/2023

- | | |
|---|---|
| <p>1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।</p> | <p>2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।</p> |
|---|---|

विषय:- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.137 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-1 ए/115-851/356, दिनांक 23.02.2022 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-851/1837, दिनांक 03.08.2023 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-851/2319, दिनांक 04.10.2023।

-----000-----

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

तालिका

क्र.	जिला	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	कोठारी	खुड़मुड़ी	संरक्षित वन	77	909.912	0.5	0.046
2			कोठारी	तुरतुरिया	संरक्षित वन	79	939.939	0.5	0.046
3			कोठारी	खुड़मुड़ी	संरक्षित वन	80	2958.998	0.5	0.148
4			कोठारी	उत्तर गुड़ागढ़	संरक्षित वन	177	180.871	0.5	0.009
5			कोठारी	मरेर	संरक्षित वन	178	837.295	0.5	0.042
6			कोठारी	मरेर	संरक्षित वन	161	825.144	0.5	0.041
7			कोठारी	लाटादादर	संरक्षित वन	107	219.3	0.5	0.012
8			कोठारी	पूर्व कोठारी	संरक्षित वन	223	644.291	0.5	0.032
9			कोठारी	लाटादादर	संरक्षित वन	106	2950.323	0.5	0.148
10			कोठारी	पूर्व कोठारी	संरक्षित वन	222	822.771	0.5	0.041

Signature

क्र.	जिला	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
11			कोठारी	दक्षिण कोठारी	संरक्षित वन	221	1886.449	0.5	0.094
12			कोठारी	दक्षिण कोठारी	संरक्षित वन	220	1636.016	0.5	0.081
13			बार - नवापारा	तेन्दुचुवा	संरक्षित वन	151	3476.691	0.5	0.174
14			कोठारी	दौंड	संरक्षित वन	186	2149.061	0.5	0.108
15			कोठारी	मुड़पार	संरक्षित वन	188	2300.024	0.5	0.115
संरक्षित वन भूमि का योग							22737.085	0.5	1.137
कुल योग							22737.085 (22.737 K.M.)	0.5	1.137

उक्त 22.737 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 1.137 हे. वन भूमि (संरक्षित वन भूमि 1.137 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

- वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
- (अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 1.137 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगांव में 2.967 हे. तथा ग्राम पोड़गांव में 10.427 हे. कुल 13.394 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा।
(ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
- उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।
- (अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए.क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-II) दि.18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।
(ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।
- परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी।


Kajal

6. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
7. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
8. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फलोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।
9. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी अधीक्षक, बारनवापारा अभ्यारण्य/ वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।
10. उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।
11. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।
12. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।
13. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।
14. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
15. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) यह सुनिश्चित करेंगे कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No. 6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।
17. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।
18. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

19. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
20. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेंगे कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।
21. सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
22. संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नहीं किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।
23. मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।
24. आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं छोड़े जावेंगे।
25. कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चित करें।
26. आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यपवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।
27. Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.
28. Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project. Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.
29. No labor camp should be constructed within the Bar-Nawapara Sanctuary or forest area.
30. Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.

उपरोक्त शर्तों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से संबंधित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से प्राप्त कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित करेंगे जिसके पश्चात् इस प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,



(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5-04/2022/10-2
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/12/2023

- 1.वनमहानिदेशक, भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली - 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 2.वनमहानिरीक्षक (वन्यप्राणीखण्ड),भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली - 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 3.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 4.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
 - 5.मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर छत्तीसगढ़।
 - 6.मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदंती-सीतानदी टाईगर रिजर्व, रायपुर, छत्तीसगढ़।
 - 7.वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमंडल छत्तीसगढ़।
 - 8.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

010



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर-492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-851/58

नवा रायपुर, दिनांक 08/01/2024

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
बलौदाबाजार वन मंडल, बलौदाबाजार
छत्तीसगढ़

विषय :- आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.137 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन बाबत।
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 43975/ 2020

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/ एफ 5-04/ 2022/ 10-2 दिनांक 27.12.2023

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.12.2023 को प्रकरण में प्रथम चरण (सैद्धांतिक) स्वीकृति जारी की गई है।

अतः संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक - पृथक वचन पत्रों सहित मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अपूर्ण पालन प्रतिवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की छाया प्रति (05 पृष्ठीय)।

अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध/व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/ भू-प्रबंध/विविध-ए/115-851/58
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 08/01/2024

1. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।
- संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध/व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

E-Mail :- dfo_balodabazar@rediffmail.com, 07727-296526

क्रमांक/तकनीकी/विविध/92.
प्रति,

बलौदाबाजार, दिनांक 10/01/2024

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.137 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन बाबत।

पंजीयन क्रमांक/FP/CG/OFC/43975/2020.

- संदर्भ :- 1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ 5-04/2022/10-2 दिनांक 27.12.2023.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/विविध-ए/115-851/58 दिनांक 08.01.2024.

=== : 00 : ===

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक-01 द्वारा बलौदाबाजार वनमण्डल के बारनवापारा अभ्यारण्य अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारतनेट प्रोजेक्ट Phase-II द्वारा वनभूमि 1.137 हे. में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुसार कैम्पा मद में जमा की जाने वाली समस्त राशि को ई-चालान के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ के अनुमोदन उपरांत जमा किया जाना है।

अतः संलग्न प्रपत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA) एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की दर्शित राशि ई-चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में RTGS कर ई-चालान की प्रति के साथ 30 बिन्दुओं के निर्धारित शर्तों का पृथक-पृथक पालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करावें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी

बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार
बलौदाबाजार, दिनांक 10/01/2024

पृ० क्रमांक/तकनीकी/विविध/93
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर की ओर उपरोक्त संदर्भ में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर (छ.ग.) की ओर उपरोक्त संदर्भ में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। NPV की राशि आवेदक संस्थान से जमा कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र में गणना पत्रक आपके अनुमोदार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी

बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

E-Mail :- dfo_balodabazar@rediffmail.com, 07727-296526


वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन हेतु वसूल की जाने वाली राशि का विवरण :-

क्र.	विषय	रकबा (हे.)	देय राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)	शेष देय राशि (रु.)
1	अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (1228590 X 5 = 6142950/- प्रति हे.)	1.137	69,84,534.00	—	69,84,534.00
	योग :-	1.137	69,84,534.00	—	69,84,534.00
2	राज्य कैम्पा के अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि के बदले में समतुल्य राजस्व वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य	1.137	10,99,099.00	—	10,99,099.00
	योग :-	1.137	10,99,099.00	—	10,99,099.00
	कुल योग :-		80,83,633.00		80,83,633.00

टीप :- वित्तीय वर्ष 2022-23 की सिंचित राशि 878787.00 रुपये के अनुसार राज्य कैम्पा के अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि के बदले में समतुल्य राजस्व वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्राक्कलन राशि 999181.00 रुपये का वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानूप्रतापपुर वनमण्डल, भानूप्रतापपुर द्वारा 10 वर्ष के लिए तैयार किया गया है।

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रति हेक्टेयर की दर 966666/- रुपये प्रचलन में है। जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 10,99,099.00 रुपये का डिमांड नोट प्रस्तावित किया गया है।

अतः प्राक्कलन में दर्शायी गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि आवेदक संस्थान के द्वारा जमा करने हेतु अनुशंसा की जाती है।



वनमण्डलाधिकारी

बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

10/11



कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -1

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-1:

वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर, छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -2

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-2

- (अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 1.137 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगांव में 2.967 हे, तथा ग्राम पोड़गांव में 10.427 हे. कुल 13.394 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा।
- (ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -3

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2021/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-3:

उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।

उपरोक्त शर्त के पालन में वर्तमान दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि रु. 10,99,099.00 दिनांक 16/01/2024 को कैम्पा मद में जमा किया गया है। जिसका यू.टी.आर. नंबर INDBR32024011600674961 है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -4(अ)

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2(अ)
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-4(अ) :

(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-11) दिनांक 18.09. 2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011 -FC (Vol-1) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।

उपरोक्त शर्त के पालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशि रु. 69,84,534.00 दिनांक 16/01/2024 को कैम्पा मद में जमा किया गया है। जिसका यू.टी.आर. नंबर INDBR32024011600674961 है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -4(ब)

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-4(ब) :

(ब) विशेषज्ञ सगिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -5

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-5:

परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को **Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203** के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 में स्थित खाता संख्या **CAF 25203** में हस्तांतरित की जायेगी ।

उपरोक्त शर्त के पालन में वर्तमान दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि रु. 10,99,099.00 एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशि रु. 69,84,534.00 कुल राशि रु. 80,83,633.00 दिनांक 16/01/2024 को कैम्पा मद में जमा किया गया है। जिसका यू.टी.आर. नंबर INDBR32024011600674961 है।(संलग्न)


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



Payment Details & UTR No.									
#	Proposal Name	Registration no.	Challan Application No.	In favour Of Name	Bank Account No.	IFSC Code	Amount	UTR No.	Date
1	Barenawapara Sanctuary, Balodabazar	FP/CG/OFC/43975/20 20	7143975725	CHHATTISGARH CAMPA	150647143975725	UBIN0996335	80,83,633.00	INDBR32024011600674961	16.01.2024


G. V. S. S.
13/1/2024


Manager (Finance)
Chhattisgarh infotech and
biotech Promotion Society
(CHIPS), Raipur - 492001



कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -6

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित क्र.-6:

प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -7

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-7:

ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -8

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-8:

उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु **Horizontal Directional Drilling method (HDD)** पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के पलौरा एवं फौना तथा **Regeneration** को क्षति न हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -9

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-9:

स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी अधीक्षक बारनवापारा अभ्यारण्य/वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -10

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-10:

उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -11

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-11:

आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग /रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -12

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-12:

आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -13


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-13:

आवेदक संस्थान रखरखाय का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -14

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-14:

वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -15


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-15:

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) यह सुनिश्चित करेंगे कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -16


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-16:

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No.6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -17

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-17:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -18

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-18:

बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -19

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-19:

क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -20

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-20:

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेंगे कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -21

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-21:

सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -22

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-22:

संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नहीं किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -23

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-23:

मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -24

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-24:

आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं छोड़े जायेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -25


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-25:

कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -26

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-26:

आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -27


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-27:

Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -28

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-28:

Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project- Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -29


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-29:

No labor camp should be constructed within the Bar-Nawapara Sanctuary or Forest area.

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -30

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-04/2022/10-2
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-30:

Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

